

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 569/2026
URN: CFA / 887U / 2026

Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited & Ors.

-----Appellants

Versus

Krishna Devi & Ors.

-----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Jai Prakash Bulania
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Judgment / Order

29/06/2026

SB Civil Misc. Stay Application No. 1697/2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2025 के अधीन ब्याज सहित बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि अपीलार्थी आज से 30 दिवस में अधिकरण में जमा करा दें, तो अपील के निस्तारण तक उक्त निर्णय व डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। यदि पूर्व में उपरोक्त निर्णय व डिक्री के तहत अपीलार्थी द्वारा कोई राशि जमा करवायी गयी है, तो वह राशि इस आदेश के माध्यम से जमा होने योग्य राशि में समायोजित की जा सकेगी।

यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील में असफल रहने पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वापस लौटाये जाने की अण्डरटेकिंग दी जाती है, तो संपूर्ण जमाशुदा राशि का भुगतान प्रत्यर्थीगण को किया जा सकेगा।

उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र उपरोक्त अनुसार निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी किए जाएं।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J